भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या - 1059
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 04 दिसंबर, 2015 को दिया गया)

स्वतंत्र निदेशक

1059. श्री वीरेन्द्र कश्यप :
श्री सी. गोपालकृष्णन :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम सहित कंपनियों में स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति हेतु निर्धारित मानदंड क्या हैं;
(ख) क्या सरकार को जानकारी है कि पीएसयू सहित कई कंपनियों ने अपने बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति नहीं की है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;
(घ) क्या सरकार ने सूचीबद्ध कंपनियों को अपने बोर्ड में एससी/एसटी से सबंधित व्यक्तियों को निदेशक के रूप में नामांकित करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ङ) सरकार द्वारा सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड में महिला निदेशक की नियुक्ति को सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री **(श्री अरूण जेटली)**

(क): धारा 149(4) में प्रावधान है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी में कुल निदेशकों के कम से कम एक-तिहाई निदेशक स्वंतत्र निदेशक होंगे। सूचीकरण करार के खंड 49(II) में यह भी व्यवस्था है कि यदि किसी सूचीबद्ध कंपनी में एक नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष न हो तो कम से कम बोर्ड

में आधे निदेशक स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। साथ ही यदि नियमित गैर-कार्यकारी अध्यक्ष कंपनी का प्रवर्तक है या किसी प्रवर्तक या बोर्डस्तर के प्रबंध पद पर किसी व्यक्ति या बोर्ड से एक निचले स्तर पर पदस्थ किसी व्यक्ति का संबंधी है तो कंपनी के बोर्ड के कम से कम आधे निदेशक स्वंतत्र निदेशक होंगे। कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के नियम 4 में निहित है

.....2/-

कि ऐसी असूचीबद्ध सार्वजिक कंपनियां जिनकी प्रदत्त पूंजी 10 करोड़ रुपए या अधिक है, अथवा कारोबार 100 करोड़ रुपए या अधिक है अथवा बकाया ऋण राशि, डिबेंचर और जमाराशि 50 करोड़ रुपए से अधिक है, में कम से कम दो स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। तथापि यदि लेखापरीक्षा समिति ने अधिक संख्या की अपेक्षा की हो तो अधिक संख्या में स्वतंत्र निदेशक नियुक्त किए जाएंगे। ये प्रावधान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के लिए भी लागू हैं।

कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हताएं) नियम, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 149(6) में किसी स्वंतत्र निदेशक के लिए अर्हताएँ आदि निर्दिष्ट की गई हैं। इसके अतिरिक्त लोक उद्यम विभाग ने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बोर्ड में गैर-सरकारी निदेशकों के चयन/नियुक्ति के लिए मानदंड निर्धारित किए हैं जिनका विवरण अनुलग्नक-। में दिया गया है।

(ख), (ग) और (ड.): जी हां। ऐसी कंपनियां जिन्होंने महिला निदेशकों की नियुक्ति नहीं की है, का श्रेणीवार विवरण इस प्रकार है:-

(i) सूचीबद्ध कंपनियां जिनमें सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल है - 1707
(ii) असूचीबद्ध कंपनियां जिनमें असूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम शामिल है - 329

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने 01 अप्रैल, 2015 से 01 अक्तूबर, 2015 के दौरान चूक की अवधि के आधार पर सूचीबद्ध कंपनियों (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को छोड़कर) पर 50,000 रूपए से लेकर 1,42,000 रुपए तक का जुर्माना किया है। इसके अतिरिक्त 01 अक्तूबर, 2015 के बाद उल्लंघन जारी रखने के लिए 5,000 रुपए प्रतिदिन का जुर्माना लगाया गया है। सेबी ने सरकार से अनुरोध किया है कि चूक करने वाले सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने के लिए संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों

को परामर्श दिया जाए। चूक करने वाली 121 असूचीबद्ध कंपनियों (सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को छोड़कर) के विरूद्ध अभियोजन दायर किए गए हैं।

(घ): जी, नहीं।

*****

अनुलग्नक-I

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों में गैर-सरकारी निदेशकों के चयन/नियुक्ति के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मानदंड

(क) अनुभव मानदंड :

(i) सेवानिवृत्त सरकारी अधिकारी जिन्हें संयुक्त सचिव या इससे ऊपर स्तर पर कम से कम दस वर्ष का अनुभव हो।

(ii) केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के अध्यक्ष एवं प्रबंधक निदेशक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी तथा अनूसूची 'क' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के कार्यशील निदेशकों के रूप में सेवानिवृत्त व्यक्ति। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के पूर्व मुख्य कार्यकारी और पूर्व कार्यशील निदेशकों पर उस केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार नहीं किया जाएगा जिनसे वे सेवानिवृत्त हुए हैं। केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में सेवारत मुख्य कार्यकारी/निदेशक किसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के बोर्ड में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे।

(iii) शिक्षाविद्/संस्थानों के निदेशक/विभागाध्यक्षों/प्रोफेसर जिन्हें संबंधित क्षेत्र अर्थात् प्रबंधन, वित्त, विपणन, प्रौद्योगिकी, मानव संसाधन या विधि में दस वर्ष से अधिक का अध्यापन या अनुसंधान अनुभव हो।

(Iv) प्रतिष्ठित व्यवसायिक जिन्हें कंपनी के परिचालन क्षेत्र से संबंधित विषयों में 15 वर्ष से अधिक का अनुभव हो।

(v) यदि कोई प्राइवेट कंपनी (क) स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध या (ख) असूचीबद्ध परंतु लाभ कमाने वाली जिसका वार्षिक कारोबार कम से कम 250 करोड़ रुपए हो के पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी।

(vi) उद्योग, व्यापार या कृषि या प्रबंधन क्षेत्र में प्रमाणित रिकॉर्ड वाले विख्यात व्यक्ति।

(vii) स्टाक एक्सचेंज में सूचीबद्ध प्राइवेट कंपनियों के सेवारत मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और निदेशकों पर भी अपवादिक परिस्थितियों में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों में अंशकालिक निदेशक के रूप में नियुक्ति हेतु विचार किया जा सकता है।

(ख) शैक्षिक अर्हता मानदंड:

किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम स्नातक की डिग्री।

(ग) आयु मानदंड:

आयुसीमा 45 से 65 वर्ष (न्यूनतम/अधिकतम सीमा) होनी चाहिए। तथापि इसमें प्रतिष्ठित व्यावसायिकों को दर्ज किए जाने वाले कारणों के साथ छूट दी जा सकती है जो 70 वर्ष तक सीमित है।

(घ) पुनःनियुक्ति:

किसी गैर सरकारी निदेशक को 3 वर्ष की अवधि के प्रत्येक कार्यकाल के साथ अधिकतम 2 कार्यकाल पूरे करने के बाद उसी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम में पुनःनियुक्ति नहीं दी जाएगी।

(ड़) एक ही समय में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों में नियुक्ति की संख्या:

किसी व्यक्ति को एक ही समय में 3 से अधिक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के बोर्डों में गैर सरकारी निदेशक के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।

(च) प्राइवेट कंपनियों में निदेशक:

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम के बोर्ड में गैर सरकार निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जा रहे किसी व्यक्ति के पास 10 से अधिक प्राइवेट कंपनियों में निदेशक का पद नहीं होना चाहिए।

*****